

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) रवि कुमार पिता- छटन साव एवं 2.) संगीता देवी पति- गोविन्द साव; ग्राम: कुण्डी, थाना : टंडवा जिला : चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम कुण्डी थाना सं.-27 (रैयती भूमि) खाता सं.- 2; के अधीन प्लॉट सं. - 27, 81, 104, 312, 313, 320, 334, 354, 164, 171P, 202, 203, 257, 371; खाता सं.- 24; के अधीन प्लॉट सं. - 170P, 279; खाता सं.- 5; के अधीन प्लॉट सं. - 206; खाता सं.- 2; के अधीन प्लॉट सं. - 20, 54, 104, 150, 320, 334, 337, 354, 187, 202, 109P, 257, 367; खाता सं.- 2; के अधीन प्लॉट सं. - 156; खाता सं.- 24 के अधीन प्लॉट सं. - 315; खाता सं.- 5; के अधीन प्लॉट सं. - 291; खाता सं.- 4; के अधीन प्लॉट सं. - 55, 105; ((गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि खाता सं.- 37; के अधीन प्लॉट सं. - 243;)) ग्राम देवलगड़ा थाना सं.-28 (रैयती भूमि) खाता सं.-2; के अधीन प्लॉट सं. - 38, 45, 46, 66, 75, 134, 145, 229; 231; खाता सं.- 17; के अधीन प्लॉट सं. - 37, 83, 99; खाता सं.- 2; के अधीन प्लॉट सं. - 38, 46, 66, 134, 150, 229; खाता सं.- 17; के अधीन प्लॉट सं. - 37, 99, 212; ग्राम सरादू थाना सं.-29 (रैयती भूमि) खाता सं.-50; के अधीन प्लॉट सं. - 476, ; खाता सं.-256; के अधीन प्लॉट सं. - 682; ((गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि खाता सं.- 278; के अधीन प्लॉट सं. - 478, 460; ग्राम चमातू थाना सं.-56 (रैयती भूमि) खाता सं.- 63; के अधीन प्लॉट सं. - 1528; कुल रकबा: 4.006 एकड़ ((गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि 0.38 एकड़) (रैयती भूमि - 3.626 एकड़)) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (मगध - संघमित्रा), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।



Arct Mgr. (CD/HR)